<u>न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी ::: चन्द्रशेखर (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 63 / 2024

सरकार बनाम सुशिला पत्नी सुमेर, जाति –मेघवाल, निवासी– उरीकी

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक : 22.05.2024

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला बावजुद सुचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला सुशिला पत्नी सुमेर, जाति –मेघवाल, निवासी– उरीकी द्वारा रोही मौजा उरीकी की भूमि ख.नं. 145 कुल रकबा 61.36 है0 किस्म गै.मु. जौहड़ में से रकबा 0.10 है0 भूमि पर दो मकान मय टैण के एक झोपड़ी एवं पशुओं का चारामय बाड़ कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायला के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लांई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 10 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० से० स० 4 के .... 02 .... पर
.... 24-28 .... कायम किए
102
राजस्व लेखाकार